450

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–छतरपुर R 1489-III/14

द्वारका कुर्मी पुत्र स्वामीदीन कुर्मी निवासी ग्राम सड़वाकोल उप तहसील सरवई जिला छतरपुर (म.प्र.) –– आवेदक

विरूद्ध

कमलकान्त पुत्र दादूराम यादव निवासी ग्राम सड़वाकोल उप तहसील सरवई जिला छतरपुर (म.प्र.) .–– अनावेदक

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 650/अ–19 (4) /2007–08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 07.04.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम विजासन में स्थित भूमि सर्वे नं. 774, 776 रकवा क्रमशः 0.421 हैक्ट्यर, 1.619 हैक्ट्यर वर्ष 1982–83 से 1986–87 के खसरे की नकल के अनुसार मध्य प्रदेश शासन दर्ज होकर निस्तार चरनोई के रूप में दर्ज है आवेदक द्वारका ने नायब तहसीलदार सरवई के समक्ष इस आशय से एक आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम विजासन की भूमि सर्वे नं. 774 रकवा 0.421 हैक्ट्यर एवं सर्वे नं. 776 के रकवा 1.619 हैक्ट्यर पर उसका कब्जा 02.10. 1984 के पूर्व से है। तथा वह कृषि क्षमिक है उसके पास किसी भी ग्रम में कोई भूमि नहीं है अतः उक्त भूमि पर उसे भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किये जायें नायब तहसीलदार द्वारा आवेदन पत्र को विधिवत् रूप से प्रकरण क्रमांक 220/अ–19 (4)/1986–87 पर पंजीबद्व कर आपत्तिया आमत्रित करने हेतु इस्तहार का प्रकाशन किया गया तथा आदेश दिनांक 19.05.1987 से सर्वे नं. 776 की 0.600 हैक्ट्यर भूमि व सर्वे नं 774 की 0.421 हैक्ट्यर भूमि आवेदक द्वारका कुर्मी को भूमि स्वामी स्वत्व पर आवंटित की गयी।
2. यहकि, नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक के हित में किये गये भूमि आवंटन आदेश के विरूद्व किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.-1489-तीन/2014

द्वारका कुर्मी विरूद्ध कमलकान्त

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपर कलेक्टर छतरपुर, जिला- छतरपुर के प्र. क्र.-650/अ-19(4)/2007-08/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 07-04-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 12-05-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही	

पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 25/01/19
सदस्य